न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 81/2017

अपीलांट

1. श्रीमती राजबाला धर्मपत्नी राजेन्द्र सिंह जी उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी शाहबाद मोहम्मद पूर, इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, नई दिल्ली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती श्याम कंवर पुत्र स्व. रूपसिंह जी जाति राजपूत निवासी सरवडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर राजस्थान हाल निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली राजस्थान।
2. श्रीमती अलोलकंवर धर्मपत्नी स्व. रूपसिंह उम्र 60 वर्ष,
3. शेरसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह उम्र 24 वर्ष, जातिगण राजपूत निवासीगण सरवडी तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार सुमेरपुर (भूमिधारी) सुमेरपुरं

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01
3. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 व 03
4. राजपैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2013 बउनवान श्यामकंवर बनाम अलोलकंवर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम देवतरा तहसील सुमेरपुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 315/579 रकबा 3.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर प्रतिवादी 3 यानि अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक 15.01.2016 को अपीलांट की ओर से उक्त वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 रूल्स 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस हेतु पत्रावली वादीनी यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की स्टेज उपरोक्त प्रार्थना पत्र की बहस हेतु दिनांक 07.04.2016 पेशी मुकर्रर की। तत्पश्चात उक्त वाद प्रार्थना पत्र के बहस के स्टेज पर नियत था। इसी दौरान उक्त वाद की पत्रावली दिनांक 25.05.2017 को अपीलांट की जानकारी दिये बिना राजस्व कैम्प देवतरा में रखकर एकपक्षीय जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रस्तुत वाद वादग्रस्त आराजी को पैतृक, पुश्तैनी सहदायिकी बताते हुये प्रस्तुत किया। जबकि संशोधित हिन्दु उतराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण करने से प्राथमिक रेस्पोडेन्ट का वाद पोषणीय नहीं था। उक्त संशोधित अधिनियम से सहदायिकी पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियो के हक अधिकार नहीं होने की व्याख्या की है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. रूपसिंह का देहान्त 1996 के पूर्व हो चुका था। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रकाश वगैरहा बनाम फुलवती वगैरहा 2015(3) आर.जे.टी. 2090 में निर्णय पारित करते हुए पुत्रियो को 2005 से जोईन्ट हिन्दु फैमिली सहदायिकी माना और संशोधन अधिनियम बाबत उक्त कानून का स्पष्ट भविष्यलक्षी होना निर्णीत किया। जिससे स्पष्ट है कि पुत्रियो को पैतृक सम्पति में सहदायिकी 2005 से माना है। एवं सन् 2005 के पश्चात ही पुत्रियो पैतृक सम्पति में सहदायिकी की हैसियत से हक अधिकार प्राप्त कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड फरमावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृ टान्त प्रस्तुत किये। (1) 2018 AIR SC 2447 (2) 2016(3) CJ (civ) SC 762 (3) 2018(3) CJ (civ) HC 1450 Raj D.B (4) 2017(1) CJ (civ) Raj P-1 (4) 2018(3) CJ (civ) SC 780 (5) 1953 AIR SC P.–21 Ful bench (6) 2015 AIR (SWC) 3884

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम देवतरा तहसील सुमेरपुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 315/579 रकबा 3.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक एवं पुश्तैनी आराजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्व. रूपसिंह की जायंदा पुत्री होने से विधिक वारिस है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने पटवारी हल्का से मिलकर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवा दी, एवं उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी में 1/3 हिस्सा निहित होते हुए भी गलत तरीके से संपूर्ण आराजी अपीलांट को बेचान कर दी और बाले–बाले राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम 3 दर्ज कर दी। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को कोई अधिकार नहीं था। एवं उक्त बेचान शुरू से ही शून्य है। वादग्रस्त आराजी मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का स्व. रूपसिंह की जांयदा पुत्री होने के नाते जन्म से ही हक अधिकार निहित हो जाते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज करते हुए हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अंत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम देवतरा तहसील सुमेरपुर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 315/579 रकबा 3.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर प्रतिवादी 3 यानि अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक 15.01.2016 को अपीलांट की ओर से उक्त वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 रूल्स 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक 25.05.2017 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रथम दृष्टया परिपोषणीय नहीं होने से खारिज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी स्व. रूपसिंह पुत्र वनेसिंह कौम राजपूत की खातेदारी जमाबंदी संवत 2052 से 2055 में दर्ज शुदा है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में यह भी निर्विवाद सत्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्व. रूपसिंह की जायंदा पुत्री है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने के नाते उसका वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित हो जाते है। इसके अतिरिक्त जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का परिपोषणीय नहीं होने से खारिज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिससे वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

81/2017

श्रीमती राजबाला बनाम श्रीमती श्यामकंवर वगैरह

पेज नंबर 4/4

21/2013 बउनवान श्यामकंवर बनाम अलोलकंवर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 81/2017

अपीलांट

1. श्रीमती राजबाला धर्मपत्नी राजेन्द्र सिंह जी उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी शाहबाद मोहम्मद पूर, इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, नई दिल्ली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती श्याम कंवर पुत्र स्व. रूपसिंह जी जाति राजपूत निवासी सरवडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर राजस्थान हाल निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली राजस्थान।
2. श्रीमती अलोलकंवर धर्मपत्नी स्व. रूपसिंह उम्र 60 वर्ष,
3. शेरसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह उम्र 24 वर्ष, जातिगण राजपूत निवासीगण सरवडी तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार सुमेरपुर (भूमिधारी) सुमेरपुरं

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01
3. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 व 03
4. राजपैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2013 बउनवान श्यामकंवर बनाम अलोलकंवर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली